न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान RAS

प्रकरण सं0 : 48/2024

तेजसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील भादरा। -- प्रार्थी

बनाम

पारूल शेखावत पुत्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी गांव खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावटी जिला सीकर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल- **प्रार्थी**

वकील श्री महेश बंसल-**अप्रार्थी संख्या 1**

निर्णय **दिनांक :** 30.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भनाई के खाता सं0 307/57 में खसरा सं0 360 तादादी 9.3200 है0 बारानी खातेदारी में अप्रार्थी सं0 1 पारूल शेखावत के नाम 1529/4660 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वादभूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाना महावीर सिंह के पिता फतेहसिंह के समय की है। पूर्व में यह वादभूमि रौही मौजा भनाई के ही खसरा सं0 360 में 36 किला 17 बिस्वा भूमि फतेहसिंह के नाम दर्ज थी। फतेहसिंह की मृत्यु हो चूकी है। वादभूमि फतेहसिंह के तीनो पुत्रों इन्द्रसिंह, महावीरसिंह, व तेजसिंह को बहिस्सा बराबर खातेदारी प्राप्त हो गई है। इन्द्रसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के नाना महावीर सिंह ने बिना अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तरीके से वाद भूमि फतेहसिंह के बजाय अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली व दर्ज करवाने के बाद खसरा सं0 360 की 9.320 है0 भूमि में से 6.262 है0 भूमि कुरडाराम पुत्र श्री मामराज को दिनांक 10.06.2010 को एक बैचान नामा उसके हक में पंजीवद्व करवा दिया। कुरड़ाराम ने यह भूमि सत्यवान व सुखवीर के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी। महावीर सिंह ने प्रार्थी से छुपाते हुए कपट पूर्वक आश्य से गोपनीय तरीके से अपने नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा सं0 360 की 1529/4660 हिस्सा यानि 3.058 है0 कृषि भूमि का एक दानपत्र अपनी दोहिती पारूल शेखावत के नाम दिनांक 26.10.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं0 534, पृष्ट संख्या 38 क्रम संख्या 202103418102215 पर पंजीवद्व करवा दिया। दान पत्र के आधार पर पारूल शेखावत के नाम कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज हो गया। वादभूमि में महावीर सिंह का मात्र 1/3 हिस्सा यानि 3.1066 है0 था। वादभूमि बाबत पारिवारिक समझौतानामा दिनांक 17.03.1998 को प्रार्थी व प्रार्थी के भाई महावीर सिंह व इन्द्रसिंह के मध्य आपसी सहमती से संयुक्त हिन्दू परिवार में सुख-शांति स्थापित करने के लिए एक लिखापढी पारिवारिक समझौता हुआ था उक्त पारिवारिक समझौते पर तीनों भाईयों ने अपने स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर कर उक्त पारिवारिक समझोता नोटेरी से सत्यापित करवा दिया था जिसमें खसरा सं0 360 की 36 किला 17 बिस्वा भूमि में इन्द्रसिंह, महावीर सिंह व तेजसिंह का बहिस्सा होने बाबत लिखापढी करवाई हुई है। लेकिन प्रार्थी के भाई महावीर ने खसरा सं0 360 की 36 बिघा 17 बिस्वा भूमि में से 6.262 है0 भूमि कपट पूर्वक कुरड़ाराम पुत्र मामराज को दिनांक 09.06.2010 को विक्रय कर दी थी बाद में कुरड़ाराम ने उक्त भूमि को सुखवीर व सत्यवान को विक्रय कर दी जबकी महावीर सिंह को पारिवारिक समझौता नामा में मिली 12 किला भूमि के बजाय 24 किला से अधिक भूमि को विक्रय कर दिया था तथा शेष बची 12 किला भूमि का दानपत्र कपट पूर्वक अप्रार्थी सं0 1 पारूल शेखावत के पक्ष में दिनांक 26.10.2021 को निष्पादित करवा दिया था। वादभूमि का कब्जा प्रार्थी के भाई महावीरसिंह के पास नही था इसलिए कब्जे का भी हस्तान्तरण नहीं हुआ है इसलिए पारूल के पक्ष में करवाया गया दानपत्र प्रारम्भतया शुन्य व बेअसर है। पारूल उक्त दानपत्र के आधार पर ... वादभूमि को रहन बेय मुंतकिल करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी ... अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी ... प्राप्त करने का ... रहन बेय या मुन्तकिल करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब दरखास्त प्रस्तुत किया कि फतेहसिंह के पास रोही मौजा भनाई के खसरा सं0 358 में 56 किला 1 बिस्वा कृषि भूमि, खसरा सं0 359 में 29 किला 13 बिस्वा, खसरा सं0 360 में 36 किला 17 बिस्वा, खसरा सं0 361 में 38 किला 8 बिस्वा खसरा सं0 65 में ... किला कृषि भूमि थी। फतेहसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी कृषि भूमि का बंटवारा कर दिया था व बंटवारा कर अपने तीनों पुत्रों महावीर सिंह को 52 किला 15 बिस्वा, इन्द्रसिंह को 56 किला 1 बिस्वा तथा तेजसिंह को 55 किला 12 बिस्वा कृषि भूमि दे दी और फतेहसिंह ने अपने पास खसरा संख्या 359

Scanned with CamScanner

9 किला 12 बिस्वा रख ली तथा उक्त भूमि का इन्तकाल भी अपने तीनों पुत्रों के नाम दर्ज करवा । बटवारा होने के बाद 1980 में फतेहसिंह ने अपने नाम की भूमि खसरा संख्या 359 की 29 किला बिस्वा भूमि को विक्रय कर उक्त विक्रय राशि से गांव गांधीबड़ी में नहरी जमीन खरीद की थी। श्चात 1997 में फतेहसिंह की मृत्यु हो गई। इन्द्रसिंह ने अपने नाम दर्ज कब्जा काश्त की भूमि 56 1 बिस्वा में से 32 किला कृषि भूमि विक्रय कर दी थी। इस प्रकार फतेहसिंह के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि का विवरण न देकर केवल महावीरसिंह के नाम दर्ज हक व हिस्सा की की कृषि भूमि का ही रण दिया गया है। जिससे प्रार्थी की मंशा न्यायालय को भ्रमित करने की स्पष्ट जाहिर हो रही है। वीरसिंह के कोई पुत्र नहीं है ऐसे में प्रार्थी महावीरसिंह की कृषि भूमि हड़पने की मन्शा रखता है। प्रार्थी महावरीसिंह को धोखे में रखकर दिनांक 17.03.1998 को एक पारिवारिक समझौता लिख कर व वीरसिंह से तथ्यों को छुपा कर उक्त तथाकथित समझौतानामा में महावीरसिंह के खसरा संख्या 360 व ने स्वयं के खसरा संख्या 361 का ही वर्णन किया गया व शेष खसरों का वर्णन न कर महावीरसिंह को खे में रख कर हस्ताक्षर करवा लिये। अतः जबाव दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया उक्त दभूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के नाना महावीर सिंह के पिता फतेहसिंह के समय की है। पूर्व में यह दभूमि रौही मौजा भनाई के ही खसरा सं0 360 में 36 किला 17 बिस्वा भूमि फतेहसिंह के नाम दर्ज थी। तेहसिंह की मृत्यु हो चूकी है। वादभूमि फतेहसिंह के तीनो पुत्रों इन्द्रसिंह, महावीरसिंह, व तेजसिंह को हिस्सा बराबर खातेदारी प्राप्त हो गई है। इन्द्रसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि मि है। अप्रार्थी सं0 के नाना महावीर सिंह ने बिना अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तरीके से वाद भूमि फतेहसिंह के बजाय अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली व दर्ज करवाने के बाद खसरा सं0 360 की 9. 320 है0 भूमि में से 6.262 है0 भूमि कुरडाराम पुत्र श्री मामराज को दिनांक 10.06.2010 को एक बैचान नामा उसके हक में पंजीबद्व करवा दिया। कुरड़ाराम ने यह भूमि सत्यवान व सुखवीर के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी। महावीर सिंह ने प्रार्थी से छुपाते हुए कपट पूर्वक आश्य से गोपनीय तरीके से अपने नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा सं0 360 की 1529/4660 हिस्सा यानि 3.058 है0 कृषि भूमि का एक दानपत्र अपनी दोहिती पारूल शेखावत के नाम दिनांक 26.10.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं0 534, पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 202103418102215 पर पंजीबद्व करवा दिया। दान पत्र के आधार पर पारूल शेखावत के नाम कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज हो गया। वादभूमि में महावीर सिंह का मात्र 1/3 हिस्सा यानि 3.1066 है0 था। वादभूमि बाबत पारिवारिक समझौतानामा दिनांक 17.03.1998 को प्रार्थी व प्रार्थी के भाई महावीर सिंह व इन्द्रसिंह के मध्य आपसी सहमती से संयुक्त हिन्दू परिवार में सुख–शांति स्थापित करने के लिए एक लिखापढी पारिवारिक समझौता हुआ था उक्त पारिवारिक समझौते पर तीनों भाईयों ने अपने स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर कर उक्त पारिवारिक समझोता नोटेरी से सत्यापित करवा दिया था जिसमें खसरा सं0 360 की 36 किला 17 बिस्वा भूमि में इन्द्रसिंह, महावीर सिंह व तेजसिंह का बहिस्सा होने बाबत लिखापढी करवाई हुई है। लेकिन प्रार्थी के भाई महावीर ने खसरा सं0 360 की 36 बिघा 17 बिस्वा भूमि में से 6.262 है0 भूमि कपट पूर्वक कुरड़ाराम पुत्र मामराज को दिनांक 09.06.2010 को विक्रय कर दी थी बाद में कुरड़ाराम ने उक्त भूमि को सुखवीर व सत्यवान को विक्रय कर दी जबकी महावीर सिंह को पारिवारिक समझौता नामा में मिली 12 किला भूमि के बजाय 24 किला से अधिक भूमि को विक्रय कर दिया था तथा शेष बची 12 किला भूमि का दानपत्र कपट पूर्वक अप्रार्थी सं0 1 पारूल शेखावत के पक्ष में दिनांक 26.10. 2021 को निष्पादित करवा दिया था। वादभूमि का कब्जा प्रार्थी के भाई महावीरसिंह के पास उक्त भूमि नही था इसलिए कब्जे का भी हस्तान्तरण नही हुआ है इस प्रकार पारूल के पक्ष में करवाया गया दानपत्र प्रारम्भतया शुन्य व बेअसर है। पारूल उक्त दानपत्र के आधार पर अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथारिथति बनाऐ रखें बहस के अन्त में वकील प्रार्थी ने आरआरडी 1993 पेज नं0 206, 207, 208 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया तथा वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि फतेहसिंह के पास रोही मौजा भनाई के खसरा सं0 358 में 56 किला 1 बिस्वा कृषि भूमि, खसरा सं0 359 में 29 किला 12 बिस्वा, खसरा सं0 360 में 36 किला [illegible], खसरा सं0 361 में 38 किला 8 बिस्वा खसरा सं0 65 में 17 किला कृषि भूमि थी। फतेहसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपनी कृषि भूमि का बंटवारा कर दिया था व बंटवारा कर [illegible] महावीर को 52 किला 15 बिस्वा, इन्द्रसिंह को 56 किला 1 बिस्वा तथा तेजसिंह को 55 किला 12 बिस्वा [illegible] भूमि दे दी और फतेहसिंह ने अपने पास खसरा संख्या 359 की 29 किला 12 बिस्वा रख ली तथा उक्त भूमि का इन्तकाल भी अपने तीनों पुत्रों के नाम दर्ज करवा दिया। फतेहसिंह ने 1980 में अपने [illegible] खसरा संख्या 359 की 29 किला 12 बिस्वा भूमि को विक्रय कर उक्त विक्रय राशि से गांव गांधीबड़ी में नहरी जमीन खरीद की थी। तत्पश्चात 1997 में फतेहसिंह की मृत्यु हो गई। इन्द्रसिंह ने अपने नाम दर्ज कब्जा काश्त की भूमि 56 किला 1 बिस्वा में से 32 किला कृषि भूमि विक्रय कर दी थी। इस प्रकार फतेहसिंह के नाम दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि का विवरण न देकर केवल महावीरसिंह के नाम दर्ज हक व हिस्सा की की कृषि भूमि का ही विवरण दिया गया है। जिससे प्रार्थी की मंशा न्यायालय को भ्रमित करने की स्पष्ट जाहिर हो रही है। महावीरसिंह के कोई पुत्र नहीं है ऐसे में प्रार्थी महावीरसिंह की कृषि भूमि हड़पने की मन्शा रखता है। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ीसिंह को धोखे में रखकर दिनांक 17.03.1998 को एक पारिवारिक समझौता लिख कर व ीरसिंह से तथ्यों को छुपा कर उक्त तथाकथित समझौतानामा में महावीरसिंह के खसरा संख्या 360 व स्वयं के खसरा संख्या 361 का ही वर्णन किया गया व शेष खसरों का वर्णन न कर महावीरसिंह को में रख कर हस्ताक्षकर करवा लिये। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि ना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई ाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित ना आवश्यक समझते है।

थम दृष्टया मामला:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत ावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में ोगण को अनुतोष प्राप्त करने तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। ी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार पारिवारिक समझौतानामा रोही मौजा भनाई के खसरा सं0 360 की 38 ला 17 बिस्वा व खसरा सं0 361 के 38 किला 8 बिस्वा का आपस में तीनो भाईयों महावीरसिंह, ूरसिंह व तेजसिंह बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार होने के कारण किया हुआ है। उक्त समझौता मा के मूताबिक वादग्रस्त अराजी में प्रार्थी ने 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होने का रिलिफ चाही । अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी के सगें भाई महावीर की दोहिती पारूल शेखावत के नाम से वादभूमि में से 3.058) कृषि भूमि का दिनांक 26.10.2021 को दानपत्र किया है चूंकि वादकृषि भूमि के स्वामीत्व आधिपत्य ाबत प्रार्थी के पारिवारिक सदस्यो के मध्य है जिनका निर्णय अर्जीदावा में साक्ष्य ली जाकर किया जाना । तब तक वादग्रस्त अराजी की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाआ जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रथम ृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है यदि अप्रार्थी सं0 1 पारूल शेखावत वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हिस्से की भूमि किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वादभूमि के हिस्से को बेचान करने में कामयाब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम, द्वितीय व तृतीय बिन्दू साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायालय द्वारा विधिसंगत समझा जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने से स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही मोजा भनाई के खाता सं0 307/57 में खसरा सं0 360 तादादी 9.3200 है0 बारानी खातेदारी में अप्रार्थी सं0 1 पारूल शेखावत के नाम 1529/4660 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज को ताफैसला पाबन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादभूमि को रहन व बैय न करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.18 11:34:35 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner